प्रेस विज्ञप्ति

08.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर, राजस्थान के समक्ष 24.08.2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर, राजस्थान ने 02/03/2024 को 03 आरोपियों शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुन्तल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने राजस्थान पुलिस, एटीएस और एसओजी, जयपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम, 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्चुअल कॉल सेंटर और बैंक खाते खोलकर विदेशी नागरिकों को धोखा देने की एक सुनियोजित साजिश थी, जो जयपुर, मोहाली, मथुरा और भारत के अन्य हिस्सों से संचालित की जा रही थी। अपराध से अर्जित आय को आरोपी व्यक्तियों और उनके द्वारा पंजीकृत फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए विभिन्न भारतीय और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। अपराध से अर्जित आय को विशुद्ध और बेदाग दिखाने के लिए अंततः उनका निवेश संपत्तियों में किया गया।